रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2011/चैत्र 1, 1933
No. 147] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2011/CHAITRA 1, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2011

सा.का.नि. 226(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 21 की उप-धारा (4) और धारा 21ख की उप-धारा (2) और उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 29क की उप-धारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 17 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित समिति के सदस्यों को प्रत्येक दिन की बैठक के लिए भत्ते के रूप में एक हजार रुपए संदत्त होंगे और बाह्य स्थानों के नामनिर्देशिती के संबंध में भोजन और आवास के लिए चार हजार रुपए तक प्रतिपूर्ति की जाएगी ।" ।

[फा. सं. 1/12/2007-आईजीसी/पीआई]

डॉ. टी. वी. सोमनाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2011

G.S.R. 226(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (d) of sub-section (2) of Section 29A read with sub-section (4) of Section 21 and sub-sections (2) and (4) of Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, namely :—

1. (1) These rules may be called the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, in sub-rule 17, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :—

"(1) The members of the Committee nominated by the Central Government shall be paid one thousand rupees as allowance for each day of sitting and reimbursed upto four thousand rupees for boarding and lodging in respect of outstation nominees.".

[F. No. 1/12/2007-IGC/PI]

Dr. T.V. SOMANATHAN, Jt. Secy.

1041 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.